फर्द अहकाम

मनोहरसिंह बनाम करणसिंह व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 06/2024

(डी.आर.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/02/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपार्थी उपस्थित। प्रार्थी मय अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को न्यायालय समय समाप्ति तक बार बार आवाज लगवाई गई। बार बार आवाज लगवाने पर अतीत भी प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली बाबत बहस प्रा०पत्र डी.आर. नियत है। जिस हेतु अधिवक्ता अपार्थी उपस्थित है। बहस का निवेदन अपार्थी अधिवक्ता ने किया। बहस प्रा०पत्र डी.आर. पर सुनी गई। अधिवक्ता अपार्थी सं. 15 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि मिन अपार्थी 15 द्वारा एक कदमाबी कुल्या के स्थ में विधिवत प्रक्रिया व अन्तर्गत बाद अधीन भूमि मे 2/8 हिस्सा अभिलिखित खातेदार से क्रय किया गया है तथा उक्त क्रय बाद कार्यवाही से पूर्व ही जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र किया गया है। जिसके क्रम में अपीलीय न्यायालय (राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर) द्वारा अपने आदेश दिनांक 24/06/24 अनुसार मिन अपार्थी प्रतिवादी के पक्ष में नामांतकरण (भूमि क्रय किये जाने अनुसार) तस्दीक किया जाने की हद तक न्यायालय हाजा के अंतरिम स्थगन को संशोधित किया जाने का आदेश पारित फरमाया गया है। जिसके क्रम में न्यायालय हाजा द्वारा मिन अपार्थी प्रतिवादी के प्रकरण में अपार्थी पक्षकार स्थापित किया गया है। [illegible] भूमि में मिन अपार्थी [illegible] है तथा प्रकरण [illegible] विवादग्रस्त भाग से सम्बन्धित [illegible] अपार्थी की नामांतकरण किया जाना अपेक्षित है जो न्यायोचित व आवश्यक भी है।	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Burfee
Date: 2025.02.28 14:07:06 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

मनोहरसिंह बनाम करणसिंह व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 06/2024 (ही. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/02/25	अतः यदि नामांतकरण की हद भाग तक पूर्व अंतरिम स्थगन आदेश को संशोधित किया जाकर शेष सम्पूर्ण संबंध में पूर्व अंतरिम आदेश को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। जो कि प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। जो कि वाद बहुलता व न्यायहित के दृष्टिगत भी आवश्यक व न्यायोचित है। अतः तदनुसार उचित आदेश पारित फरमाया जावे। दोनों अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि चूंकि अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी 15 को उसके विवादित कब्जाशुदा हिस्सा के संबंध में नामांतकरण की हद तक स्वीकृति व न्यायालय हाजा के पूर्व अंतरिम स्थगन आदेश में तदनुसार संशोधन का आदेश पारित फरमाया गया है। अतः संदर्भ में आदेश की पालना आवश्यक व न्यायोचित है। परन्तु साथ ही चूंकि मूलवाद विभाजन के अनुसंधान के सम्बन्धित में जिले अन्तर्गत अनुसार भूमि का विधिवत विभाजन किया जाना अपेक्षित है। जिस बाबत वाद बहुलता व न्यायहित के दृष्टिगत भी भूमि वादग्रस्त को सुरक्षित किया जाना भी आवश्यक व न्यायोचित है। अतः वाद बहुलता व न्यायहित के दृष्टिगत प्रार्थी-15 को उसकी कब्जाशुदा भूमि हिस्से तक नामांतकरण की छूट व तदनुसार स्वीकृति के आदेश दिए जाते हैं तथा उसके पक्षकारान को ताकीदन मूलवाद वादग्रस्त भूमि के अग्रिम बेचान, हस्तांतरण आदि, तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति (प्रार्थी 15 के नामांतकरण के अतिरिक्त) कायम रखे जाने हेतु अग्रिम निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। तदनुसार उभय पक्षकारान		

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

DAWA 41/2024

फर्द अहकाम

मनोहरसिंह बनाम करणसिंह व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 06/2024 (ही. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/02/25	वाद अधीन भूमि भा.ख.नं. 239, 240, 242 कुल रकबा किता 3 कुल रकबा 0.6712 की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखेंगे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। वादी व कमीश्नर रवाना हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.28 14:07:06 IST
Reason: SelfAttested